राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंरा/2025/05 जयपुर, दिनांक :16-01-2025

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994(1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा–95 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा, राज्य की ऐसी ग्राम पंचायतें जिनका कार्यकाल दिनांक 31.01.2025 तक समाप्त हो रहा है तथा उनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से सम्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त करने एवं ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन की दृष्टि से प्रशासक की सहायतार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रशासकीय समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उंप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाये जायेंगे।

प्रशासक द्वारा उक्त अधिनियम व संबद्ध नियमों में वर्णित समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और पालन प्रशासकीय समितियों की बैठक में परामर्श उपरान्त किया जायेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (Bank Accounts) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एव सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा। प्रशासक एवं प्रशासकीय समिति की कार्यावधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।

अधिनियम की धारा–98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने ज़िले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया जाता है।

आज्ञा से,
16.01.2025
(डॉ0 जोगा राम)
शासन सचिव एवं आयुक्त

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

एफ 3(48)जांच/पंरावि/टाकरवाडा/कोटा/25/ई–53621 जयपुर, दिनांकः–11.02.2025

::आदेश::

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 95(ख) में यह उल्लेखित है कि ''पंचायतीराज संस्थाओं की समस्त शक्तियों का प्रयोग व समस्त कर्तव्यों का निर्वहन विघटन का कालावधि के दौरान ऐसे प्रशासक द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे।''

राज्य सरकार (पंचायतीराज विभाग) की अधिसूचना क्रमांक एफ15(2)प्रशासक/विधि/पंरा/2025/05 जयपुर दिनांक 16.01.2025 के द्वारा राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 95(ख) के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से अधिनियम की धारा–98 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलेक्टर्स को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से उक्तानुसार प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समिति का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा–95(ख) के तहत प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासक को पदमुक्त/पदच्युत करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, अतः उक्त के क्रम में राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है–

1. राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 95(ख) के तहत प्रशासक नियुक्त करने के अधिकार अधिसूचना दिनांक 16.01.2025 द्वारा संबंधित जिला कलक्टर्स को धारा–98 के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है। जिला कलक्टर्स द्वारा नियुक्त प्रशासक को पदमुक्त/पदच्युत करने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, अतः उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर से की जावेगी।
2. प्रशासक को पदमुक्त/पदच्युत करने के पश्चात निवर्तमान उप सरपंच को प्रशासक पद पर नियुक्त किये जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर अधिकृत रहेंगे। यदि निवर्तमान उप सरपंच का पद भी रिक्त हो तो इस मामले में प्रकरण बनाकर संबंधित जिला कलक्टर, विभाग को प्रेषित करेंगे जिसके संबंध में विभाग स्तर पर निर्णय लिया जाकर उस ग्राम पंचायत के निवर्तमान वार्ड पंचों में से किसी एक को प्रशासक नियुक्त किया जा सकेगा।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

(इन्द्रजीत सिंह)
अति. आयुक्त एवं
शासन उप सचिव।।(जांच)

Signature valid
Digitally signed by Indrajeet Singh
Designation : Deputy Commissioner
Date: 2025.02.11 15:04:28 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

दूरभाष नं. 0141–2227884 ई–मेलः rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– एफ 4(78)पंरावि/पीसी/एमआईएस/2015-16-01048 **जयपुर, दिनांकः–**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद समस्त।

विषयः–ग्राम पंचायतों मे नियुक्त प्रशासक के माध्यम से लेन–देन हेतु ई–पंचायत पोर्टल पर प्रावधान बाबत।

संदर्भः– विभागीय अधिसूचना क्रं.एफ15(2)प्रशासक/विधि/पंरा/2025/05 दिनांक 16.01.25

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित अधिसूचना के द्वारा कतिपय ग्राम पंचायतो मे प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासकीय समितियों का गठन किये जाने हेतु जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है।

ई–पंचायत पोर्टल पर राशि भुगतान की कार्यवाही सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षरों से करने का प्रावधान है। उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार सरपंच के स्थान पर प्रशासक राशि भुगतान की कार्यवाही करेगे। इस हेतु ई–पंचायत पोर्टल पर निम्न व्यवस्था अपनायी जावेः–

1. पंचायतीराज संस्थाओ यथा ग्राम पंचायतों में निवर्तमान सरपंच/उपसरपंच को प्रशासक नियुक्त किये जाने पर ई–पंचायत पोर्टल पर उनकी एस.एस.ओं आईडी को संबंधित विकास अधिकारी–पंचायत समिति द्वारा निष्क्रिय किया जावें।
2. प्रशासक (निवर्तमान सरपंच/उपसरपंच) द्वारा ई–पंचायत पोर्टल पर एस.एस.ओं आईडी की अनुरोध प्रेषित किये जाने के उपरान्त संबंधित विकास अधिकारी पंचायत समिति द्वारा अनुमोदन किया जाना सुनिश्चित की जावें।
3. जिसके क्रम में प्रशासक (निवर्तमान सरपंच/उपसरपंच) एवम ग्राम विकास अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Maheshwari
Designation : Superintending Engineer
Date: 2025.02.27 17:18:03 IST
Reason: Approved

(...श ...श्वरी)
अधीक्ष... अभियन्ता

RajKaj Ref No.: 13285716

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
2. जिला कलक्टर, समस्त।
3. संयुक्त शासन सचिव (विधि), पंरावि।
4. संयुक्त निदेशक, जन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार ई–पंचायत पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने का श्रम करावें।
5. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
6. एपीसी कम उप निदेशक, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर उपलोड करने हेतु।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

कार्यालय जिला परिषद, अलवर

क्रमांकः– जिपअ/पंचा/प्रशासक/2025/ई फाईल 54303/1804 दिनांकः– 08/05/25

विकास अधिकारी
पंचायत समिति समस्त
जिला परिषद, अलवर

विषयः– पंचायतों मे नियुक्त प्रशासको के कार्य सम्पादन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिले के अधिकाश विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासको द्वारा आवासीय गृहो के पट्टे जारी करने एवं अन्य कार्य सम्पादन हेतु मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

उक्त क्रम में निर्देशित किया जाता है कि शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.1.2025 एवं 11.3.2025 विभागीय अधिसूचना (प्रति संलग्न) के अनुसार उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करें ।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

8/5/25

(सालुखे गौरव रविन्द्र)
IAS
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अलवर

क्रमांकः– जिपअ/पंचा/प्रशासक/2025/ई फाईल 54303 दिनांकः–

प्रतिलिपीः–श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.3.2025 एवं 16.1.2025 के क्रम में सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, अलवर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय जिला परिषद,टोंक

क्रमांकः–जिपटों/पंचा./2025–26/ 787 दिनांक :– 10-07-2025

विकास अधिकारी
पंचायत समिति _____(समस्त)

विषयः– प्रशासक एंव प्रशासकीय समितियों के सदस्यों के मानदेय एवं बैठक भत्ता के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त महोदय पंचायती राज विभाग की अधिसूचना कमांक/एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंरा./2025/05 जयपुर दिनांक 16.01.2025 की पालना में श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय के विभिन्न आदेशों द्वारा निवर्तमान सरपंचों को प्रशासक एंव निवर्तमान वार्डपंचों को प्रशासकीय समितियों के सदस्य नियुक्त किये गये है।

इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रशासक एंव प्रशासकीय समितियों के सदस्यों को नियमानुसार मानदेय एवं बैठक भत्ता का भुगतान कर सूचना से अद्योहस्ताक्षर कर्ता को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

10/7/2025

(परशुराम धानका)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, टोंक

कार्यालय जिला परिषद,टोंक

क्रमांकः–जिपटों/पंचा./2025–26/ 598 दिनांक :– 21/08/2025

विकास अधिकारी
पंचायत समिति .....(समस्त)

विषयः– प्रशासक एंव प्रशासकीय समितियों के सदस्यों के मानदेय एवं बैठक भत्ता के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 787 दिनांक 10.07.2025 द्वारा प्रशासक एंव प्रशासकीय समितियों के सदस्यों को नियमानुसार मानदेय एवं बैठक भत्ता का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था।

पंचायतीराज विभाग जयपुर से दूरभाष पर प्राप्त सन्देश के कम में पूर्व में जारी उक्त पत्रांक को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है।

21/8/2025
(परशुराम धानका)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, टोंक

क्रमांकः–जिपटों/पंचा./2025–26/595-602 दिनांक :– 21/08/2025
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ/पालनार्थ :–

1. श्रीमान् उपायुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) पंचायतीराज विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक।
3. प्रशासक /ग्राम विकास अधिकारीगण समस्त जिला टोंक।
4. रक्षित पत्रावली।

21/8/2025
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, टोंक